

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA
UN-STARRED QUESTION NO: 2384
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 11TH MARCH, 2016
21, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

MINIMUM ALTERNATE TAX

2384. SHRI KAUSHALENDRA KUMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the details of Minimum Alternate Tax (MAT) and spirit behind levying such tax;
- (b) whether any complaints about MAT have been received by the Government during the last three years and if so, the details thereof and action taken or proposed to be taken thereon;
- (c) whether the revenue under MAT has been generated by issuing notices to the foreign investors, if so, the reasons therefor; and
- (d) the implication of further foreign investment?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) to (d) Section 115JB of the Income-tax Act, 1961 (the Act) provides that in case of a company, if the tax payable on the total income as computed under the Act in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing on or after the 1st April, 2012, is less than eighteen and one-half per cent of its book profit, such book profit shall be deemed to be the total income of the assessee and the tax payable by the assessee for the relevant previous year shall be eighteen and one-half per cent of its book profit. This is called Minimum Alternate Tax (MAT).

The spirit behind levy of MAT is that every person participating in the economy must contribute to the exchequer. As a result of various exemptions, deductions and other tax incentives in the corporate sector, the revenue forgone has been climbing up significantly. MAT is aimed at recouping a part of the loss in revenue collection on account of exemptions, deductions and other tax incentives in the corporate sector. MAT was introduced to address inequity in taxation of corporate tax payers and to promote inter-se equity among them.

There were representations received from various stakeholders on the issue of levy of MAT. In the wake of representations, the Government constituted Justice Shah Committee to look into the issue which submitted its report to the Government on 25.08.2015. Taking into account all relevant facts, it was decided by the Government that MAT shall not be applicable to a foreign company, if the foreign company does not have a permanent establishment under relevant Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) or a place of business in India. Accordingly, Finance Bill, 2016 proposes to amend the law with retrospective effect from 01.04.2001 to give effect to the above decisions

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2384

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/ 21 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

न्यूनतम वैकल्पिक कर

2384. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का ब्यौरा क्या है और ऐसे कर लगाने के पीछे क्या कारण है;
- (ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को एमएटी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ग) क्या विदेशी निवेशकों को नोटिस जारी कर एमएटी के अंतर्गत राजस्व सृजित किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) विदेशी निवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (घ): आयकर अधिनियम, 1961 (इस अधिनियम) की धारा 115 ज ख में ऐसा प्रावधान है कि यदि 01 अप्रैल, 2012 से या इसके बाद से प्रारम्भ होने वाले आंकलन वर्ष से संगत पिछले किसी वर्ष के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत संगणित कुल आय पर देय कर खाता लाभ से 18.50 प्रतिशत से कम है तो ऐसे खाता लाभ को निर्धारिती की कुल आय माना जाएगा और संगत पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा देय कर इस खाता लाभ का 18.50 प्रतिशत होगा। इसे ही न्यूनतम वैकल्पिक कर कहा जाता है।

इस न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को लगाने के पीछे की भावना यह है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले हर व्यक्ति का राजकोष में योगदान होना चाहिए। कार्पोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली छूट, कटौती और अन्य कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व में खास वृद्धि हुई है। इस वैकल्पिक न्यूनतम कर (एमएटी) का एक मुख्य उद्देश्य कार्पोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली छूट, कटौती और अन्य प्रोत्साहनों से जो राजस्व की हानि होती है, उसके कुछ भाग की भरपाई की जा सके। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को इसलिए भी लागू किया गया था कि कार्पोरेट करदाताओं में कर संबंधी जो असाम्यता होती है उसे दूर किया जा सके और उनमें परस्पर साम्यता को बढ़ावा दिया जा सके।

एमएटी को लगाए जाने के मुद्दे पर विभिन्न स्टैकहोल्डरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों को देखते हुए सरकार ने न्यायमूर्ति शाह समिति का गठन किया था जिसने 25.08.2015 को सरकार के पास अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यदि किसी विदेशी कंपनी का संगत दोहरे कराधान परिहार करार (डीटीएए) के अन्तर्गत भारत में कोई स्थायी कारोबार या व्यापारिक स्थान नहीं है तो ऐसी कंपनी पर एमएटी को नहीं लगाया जाएगा। तदनुसार, उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए 01.04.2001 से भूतलक्षी प्रभाव से इस कानून में संशोधन करने के लिए वित्त विधेयक, 2016 में प्रस्ताव किया गया है।
